निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 61/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
भगवान सहाय पुत्र राम सहाय जाति अहीर निवासी ग्राम भम्भोरी तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ।
2. ग्राम पंचायत भम्भोरी जरिये सरपंच तहसील व जिला जयपुर ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

4. रामसिंह पुत्र बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम भम्भोरी तहसील व जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2020 व उनवानी भगवान सहाय बनाम ग्राम पंचायत भम्भोरी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश कुमार सैन एवं हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक **21.09.2020**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 16/2020 व उनवानी भगवान सहाय बनाम ग्राम पंचायत भम्भोरी विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 24.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थिति दर्ज कराते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर आपत्ति की, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्षकारान को सुनवाई के पश्चात भी दिनांक 26.08.2020 को वास्ते जबाब अप्रार्थी संख्या 2 हेतु नियत की तथा दिनांक 26.08.2020 को ही अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा केवल मात्र टी आई प्रार्थना पत्र का जबाब देते हुए स्टे की बहस पर आमादा हो गए तथा कोर्ट परिसर में ही प्रार्थी को धमकाते हुऐ कहने लगे कि आज हमारी साहब से बात हो गई है, तुम्हारा स्टे खारिज करवा देंगे। दिनांक 26.08.2020 को करीब प्रातः 11.30 बजे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जबाब की नकल प्राप्त की गई, तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप आज ही बहस सुना दे। मैं आज ही फैसला करूंगी। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मुझे जबाब अभी ही मिला है। मुझे इसे पढने तथा बहस करने का समुचित अवसर प्रदान करे। मैं,

जिला कलक्टर जयपुर

आवश्यक रूप से बहस करने को तैयार हूं। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने नाराज होते हुये उक्त प्रकरण की तारीख पेशी अगले दिन अर्थात दिनांक 27.08.2020 की नियत करते हुए कहा कि यदि आप बहस नही करेंगे, तो मैं इस प्रकरण में फैसला दे दूंगी। प्रार्थी को माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये इस प्रकार के व्यवहार से तथा प्रार्थी के प्रकरण को व्यक्तिगत रूप से डील किये जाने के कारण प्रार्थी को सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि प्रार्थी को किसी भी सूरत में न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकेगी जिससे वादकरण उत्पन्न होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो उक्त वादग्रस्त आराजी में निहत अपने हक हिस्से की भूमि को काश्त कर अपने एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 गावं के समाज कंटकों से मिल कर प्रार्थी की आराजी पर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा अब उक्त स्टे आर्डर को येन केन प्रकारेण खारिज करवाने पर आमादा हो रहे है। जिससे प्रार्थी के उक्त प्रकरण दावा एवं टी आई को जिले के अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम की पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर की है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर आमेर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2020 ब उनवानी भगवान सहाय बनाम ग्राम पंचायत भम्भोरी को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में सुनवाई हेतु दिनांक 05.10.2020 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर आमेर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम व सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर